

IV **कार्य निर्वहन के लिये स्थापित मानक:** - अनगर पालिका के सभी कार्य सरकार के निदेशानुसार निशापादित किये जाते हैं तथापि हि०प्र० नगरपालिका अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों की प्रक्रियाओं का संक्षिप्त व्यौरा निम्न प्रकार में है: -

असम्पतियाँ/ भूमि के खरीद पर NOC (No objection Certificate), न०ओ०सी० की प्रक्रिया : -

- नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर आने वाले सम्पति भूमि के कय-विकय के मामले में नगरपालिका एन०ओ०सी० जारी करती है ।
- जो कोई व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर भूमि या सम्पति अर्जित करता है उसे नगरपालिका द्वारा एन०ओ०सी० लेना होता है ।

अनल व बिजली का कनेक्शन के लिए एन०ओ०सी० की प्रक्रिया: -

- यह नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए लागू होता है ।

पब्लिक हेल्थ एवं सफाई विभाग :

जन मार्ग (Public Street) का कनेक्शन के लिए एन०ओ०सी० की प्रक्रिया: -

- यह नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति इस के लिए आवेदन भरा सकता है ।
- समायता आवेदक स्वयं नगरपालिका जा कर या फोन पर इसके बारे में सेनीटरी इंस्पेक्टर को जानकारी देता है ।

स्लाटर हाउस:

- किसी व्यक्ति द्वारा स्लाटर हाउस नगरपालिका क्षेत्र में खोलने, तेल उद्योग या डेयरी खोलने, साबुन बनाने जैसे

लघु मंत्रलय खोलने के लिए नगरपालिका से लाईसेंस लेना आवश्यक है ।

खतरनाक बिल्डिंग को हटाने की प्रक्रिया

- किसी नए भवन के नए भाग के निर्माण के लिए या किसी भवन के पुर्ननिर्माण करने या किसी भवन में परिवर्तन करने के लिए नगरपालिका को सूचना देना तथा उसकी अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है । किसी भवन के बाध्य प्रक्षेप के निर्माण या पुर्ननिर्माण के लिए नगरपालिका की अनुमति लेना आवश्यक है ।

जन सुरक्षा का कार्य एवं आगजनि से नागरिक की सुरक्षा ।

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया

- जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण दो प्रकार से होता है अगर बच्चे का जन्म नगरपालिका क्षेत्र में आने वाले अस्पताल में हुआ है तो अस्पताल मासिक रिपोर्ट द्वारा उन सभी बच्चों का पंजीकरण कर दिया जाता है जिन्होंने उस अस्पताल में जन्म लिया है । यदि नगरपालिका क्षेत्र में आने वाले अस्पताल में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अस्पताल मासिक रिपोर्ट नगरपालिका को भेजने में उस मृतक का पंजीकरण हो जाता है । दूसरी स्थिति में जब बच्चे का जन्म घर में हुआ है तो बच्चे के अभिभावक या घर वाले की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वो 20 दिन के अन्दर इसका पंजीकरण नगरपालिका में करवा दे । अगर किसी व्यक्ति में मृत्यु घर पर होती है तो मृतक के घर वाले की यह जिम्मेदारी होती है कि वो नगरपालिका में आवेदन दे तथा मृत्यु पंजीकरण कराएँ ।